न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक :

मुकदमा नं. :– 588 / 2024

राजेन्द्र सिंह बनाम रामनिवास वगै0

राजेन्द्र सिंह पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी ग्राम मझाऊ तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं

वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र स्व. सुरजा
2. ताराचन्द पुत्र स्व सुरजा
3. चावली स्त्री सुरजा
4. बोयतराम पुत्र शिशराम
5. श्रवण कुमार पुत्र शीशराम
6. सजना देवी स्त्री शीशराम
7. उम्मेद पुत्र मामराज
8. मनोहरी स्त्री मामराज
9. रोहताश पुत्र मामराज
10. शुभकरण पुत्र मामराज
11. सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल
12. सहीराम पुत्र मामराज

    जाति समस्त जाट निवासीगण ग्राम मझाऊ तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू

13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंगनौर तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भोड़की तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
15. उप पंजीयक, गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं
16. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनूं

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद वादी निम्न आशय का पेश किया गया– राजस्व ग्राम मझाऊ तहत तहसील गुढ़ा गौड़जी भूमि हाल खसरा नं. 192 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नं. 194 रकबा 0.18 हैक्टर, 326 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नं. 460 / 189 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 508 / 326 रकबा 1.03 हैक्टर, 649 / 275 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नं. 650 / 275 रकबा 1.26 हैक्टर, 651 / 275 रकबा 1.12 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकवा 6.35 हैक्टर तथा खसरा नं. 185 रकबा 1.30 हैक्टर स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 बाद पत्र में वादी का हिस्सा 1 / 16 हैक्टर तथा जमीन वर्णित धारा 2 वाद

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

पत्र में वादी का हिस्सा 1/32 है शेष पक्षकारान का हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज अनुसार है। जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र पक्षकारान की संयुक्त कोटिनेन्सी की जमीन है। जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र का अभी पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नही हुआ है। पक्षकारान आपसी सुविधा से अपने-अपने हिस्सा की जमीन पर काबिज काश्त है। कृषि भूमि का जब तक सहखातेदारो मे विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक कोई एक सहखातेदार अपने हिस्सा की जमीन का अच्छी तरह से भू-सुधार नही कर सकता तथा ना ही किसी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा सकता तथा जमीन संयुक्त कोटिनेन्सी की रहने से वर्षात के समय सहखातेदारो मे सीमा विवाद एवं झगड़ा का अंदेशा रहता है। इसी उद्देश्य के लिए दिनांक 26.02.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण को जमीन में हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक जमीन का आपसी सहमति से विधिवत विभाजन बाबत कहा तो वे जमीन के विभाजन से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा वादी को धमकी दी की वे जमीन को बिना विभाजन के विक्रय करेंगे तथा वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करेंगे। इस कारण वादी को मौजुदा वादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार पक्षकारान के मध्य राजीनामें के आधार पर दिनांक 08.09.2025 को वाद वादीगण को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2867 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान को बहस पत्रावली पर सुना गया। वादी अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादीगण को मुताबिक राजीनामा न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: निर्णय :-

वाद वादी सिद्ध होने पर मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मझाऊ तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित हाल खसरा नं. 192 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नं. 194 रकबा 0.18 हैक्टर, 326 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नं. 460/189 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 508/326 रकबा 1.03 हैक्टर, 649/275 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नं. 650/275 रकबा 1.26 हैक्टर, 651/275 रकबा 1.12 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 6.35 हैक्टर तथा खसरा नं. 185 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2867 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस

दावा बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतिम वाद डिक्री

उनवान राजेन्द्र बनाम रामनिवास वगैरह

मुकदमा नं. : 588 / 2024 दिनांक : 29/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादिया मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29/10/25 के अनुसार वकील वादी राजेश पुनियां तथा वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 11 एडवोकेट मदन सिंह गिल की उपस्थिति में वाद वादी को मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मझाऊ तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित हाल खसरा नं. 192 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नं. 194 रकबा 0.18 हैक्टर, 326 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नं. 460 / 189 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 508 / 326 रकबा 1. 03 हैक्टर, 649 / 275 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नं. 650 / 275 रकबा 1.26 हैक्टर, 651 / 275 रकबा 1.12 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 6.35 हैक्टर तथा खसरा नं. 185 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ. / 2025 / 2867 दिनांक 06. 10.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	2 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1
योग	3	योग	1

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)